5.7.19 वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर पत्रावली वास्ते 16.7.19 दिनांक 16.7.19 पेश हो।

16.7.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। प्रवादी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जो रेकार्ड पर लिया जाता है। वास्ते बहस दिनांक 30.7.2019 को पेश हो। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
30.7.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 2.8.2019 को पेश हो। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2.8.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया की मौका स्थिति यथावत... (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(1942) बनाम श्याराम

किस्म मुकदमा ______ नं. 15 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसील बयाना मे स्थित पैमायशा की खाता नम्बर 134 मे आराजियात 657, 658, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 885, 886, 888, 889, 1073/4, 750 कुल किता 16 कुल रकबा 51 बिघा 12 बिस्वा स्थित थी जो भूरा, जोला, खुना, गोपी, दयारी, मगना पिता पालम जाट के खातेदारी में दर्ज थी। स्थित पैमायशा की खाता संख्या 135 में आराजी चाह नम्बर 662 स्थित थी जो राजस्व रेकार्ड में भूरा जोला, उर्फ खुना, गोपी, दयारी मगना पिता पालम जाट 43 व लाला वल्द सोरम जाट 213 के खातेदारी मे दर्ज थी। दयारी पिता पालम की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजियात में दयारी का हिस्सा विरासत से उनके पुत्र अप्रार्थी नम्बर 1 दयाराम के नाम पर अंकित हुआ तथा उपरोक्त आराजियात का विभाजन हो जाने के बाद अप्रार्थी नम्बर 1 श्याराम के खातेदारी मे तन्हा खाता 156 मे आराजी नम्बर 803, 999, 1008, 1009 1012, 1018 कुल किता 6 कुल रकबा 7 बिघा 3 बिस्वा दर्ज हो गई तथा चाह नम्बर 812-1004 शामलाती दर्ज रहा। उक्त आराजियात प्रार्थीगण की पैतृक तौर पर पालम जी की थी। व उनके पुत्र दयारी जी के अल्पायु मे ही स्वर्गवास हो जाने से दयारी जी के पुत्र व प्रार्थीगण के पितामह अप्रार्थी नम्बर 1 श्याराम के नाम पर दर्ज हुई अप्रार्थी नम्बर 2 मोहन लाल प्रार्थीगण के पिता	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

है और हम सबका संयुक्त परिवार है तथा उक्त आराजियात संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है अत: उक्त आराजियात मे प्रार्थीगण का जन्म से हि अधिकार व स्वामित्व पैदा हो जाता है। उक्त आराजियात के हाल पैमायश मे खाता नम्बर 150 मे आराजी नम्बर 1122 रकबा 0.08, आराजी नम्बर 1123 रकबा 0.13 हे., आराजी नम्बर 1476, रकबा 0.40 हे, आ०नं० 1477 रकबा 0.12 हे. आ.नं. 1478 रकबा 0.24 हे. आ०नं० 1479 रकबा 0.02 हे. आ०नं० 1481 रकबा 0.04 हे. आ०नं० 1482 रकबा 0.40 हे., आ०नं० 1483 रकबा 0.32, आ०नं० 1484 रकबा 0.40 हे. आ०नं० 1488 रकबा 0.25 हे, आ०नं० 2903/1482 रकबा 0.06 हे. आ०नं० 2904/1476 रकबा 0.05 हे., आ०नं० 2964/1109 रकबा 0.08 हे० कुल किता 14 कुल रकबा 2.60 हे० तथा ग्राम वीरखेडा (भगवतनगर) मथुरा हथियाना के खाता नम्बर 85 मे आ०नं० 2717 रकबा 1.61 हे., आ०नं० 3058/2643 रकबा 2.32 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 3.93 हे० बने है। जिनमेसे खाता नम्बर 50 की सम्पूर्ण आराजियात तथा खाता नम्बर 85 की आराजियात मे 1/3 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 01 छगनाराम के नाम पर दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 छगनाराम की मानसिक हालत भी सही नही है तथा इसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 मोहन लाल उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने हेतु तत्पर है। अत: अस्थाई निषेधाज्ञा के पालना किया जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हमने प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र पर अप्रार्थीगण को तलब किया। उक्त अप्रार्थीगण ने हाजिर होकर

प्रवीण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आराजी नम्बरों की जानकारी नहीं होने के व जानकारी के

अभाव के तथ्यों को अस्वीकार किया व उपरोक्त वर्णित आराजियात अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने के तथ्य को कतई अंकित किया। स्पष्ट है यह निवेदन किया कि उक्त आराजी बटवारा के पश्चात प्राप्त हुई है तो संयुक्त जो प्रार्थीगण स्वीकार कर रहे है तो संयुक्त हिन्दु परिवार स्वत: ही समाप्त हो गया है व उक्त आराजियात अकेले स्वयं के नाम पर होने के किसी का कोई हक अधिकार नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक संपत्ति है अत: प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार हो जाता है। अत: अप्रार्थी संख्या 1, 2 को स्थायी अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी 1 के खातेदारी में विभाजन के पश्चात आई थी। अत: विभाजन होने से संयुक्त हिन्दु परिवार समाप्त हो गया था।

पत्रावली का अवलोकन किया। किंतु गई बहस पर मनन किया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 150 तथा 85 में जिन आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है, उन आराजियात के भी आ0नं0 1123 आ0नं0 1484 के व्यक्तिगत आराजी नं0 803 तथा 999 थे। पत्रावली पर पेश जमाबन्दी संवत (2016-19) से भी

स्पष्ट है कि उक्त आ०नं० 803 व 999 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज थी। उक्त दोनों आराजियात मौरूसी आराजियात है एवं अप्रार्थी संख्या 1 को अपने दादा से प्राप्त हुई है। प्रार्थी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है कि खाता संख्या 150 व 85 की समस्त आराजियात मौरूसी है प्रथम दृष्टया प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः समस्त आराजियात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आ०नं० 803 व 999 प्रथम दृष्टया मौरूसी आराजियात होने से व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 व 30 संयुक्त परिवार में कोई भी सहदायिक वैध रीति से सहदायिक सम्पत्ति में से अपने हित का दान अथवा विक्रय अथवा वसीयत नहीं कर सकता जिससे कि अन्य सदस्यों का हित प्रभावित हो। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजियात को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन की आ०नं० 1123 रकबा 0.13 हे० आ०नं० 1484 रकबा 0.40 हे० में [illegible] की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। आदेश सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)